

राजस्थान सरकार  
तकनीकी शिक्षा विभाग

क्रमांक : एफ 15(5)त.शि./2004-1

जयपुर, दिनांक, 16 अप्रैल, 2021

सहायक प्रशासनिक अधिकारी,  
राज्य स्तरीय शुल्क निर्धारण समिति,  
तकनीकी शिक्षा भवन,  
राजकीय रामचन्द्र खेतान पॉलिटेक्निक महाविद्यालय परिसर,  
झालाना डूंगरी, जयपुर।

विषय :- निजी पॉलिटेक्निक संस्थानों/कोलेजों के शैक्षणिक सत्र 2021-22, 2022-23  
एवं 2023-24 की फीस निर्धारण हेतु रिकॉर्ड लेने की अवधि बढ़ाने बाबत।

संदर्भ :- आपका पत्रांक त.शि./एफसी/2021-22/05 दिनांक 06.04.2021

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि आपके द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावानुसार समस्त निजी पॉलिटेक्निक संस्थानों/कोलेजों के शैक्षणिक सत्र 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 की फीस निर्धारण हेतु रिकॉर्ड लेने की अवधि दिनांक 30.04.2021 तक बढ़ाए जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

कृपया पूर्ण रूप से प्रयास करके दिनांक 30.04.2021 तक ही वांछित रिकॉर्ड प्राप्त कर लिया जावें। ताकी अवधि बढ़ाने की आवश्यकता नहीं रहे।

भवदीय,

(राजेश कुमार चौहान)  
संयुक्त शासन सचिव, त.शि.